नि0आ0सं0–73/जि0टा0फो0 च0/रू0/मोटर मार्ग/2017–18

जनपद चमोली , तहसील थराली मे जिला योजना के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से राजकीय इन्टर कॉलेज ल्वाणी तक 01 कि0मी0 मोटर मार्ग संरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्रांक 543/1 एम0जी0, दिनांक 31.03.2017, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा सर्वेक्षण के समय अधिशासी अभियन्ता के साथ हुयी वार्ता के क्रम मे जनपद चमोली , तहसील थराली मे जिला योजना के अन्तर्गत देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग से राजकीय इन्टर कॉलेज ल्वाणी तक 01 कि0मी0 मोटर मार्ग संरेखण निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सन्तोष पंत, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की उपस्थिति मे सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :–

पहुँच/अवस्थिति :

प्रश्नगत मोटर मार्ग संरेखण थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के कि0मी0 23 के अपस्लोप/उत्तरपूरब पहाड़ी ढाल पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है। संरेखण स्थल दक्षिणपूरब, दक्षिणपश्चिम व उत्तरपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर निर्मित किया जाना है।

भूआकृति/भूगर्भीय संरचना :

प्रश्नगत मोटर मार्ग संरेखण स्थल थराली–देवाल–मुन्दोली मोटर मार्ग के अपस्लोप के पहाड़ी ढाल पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है जिसमें संरेखण को 02 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ राजकीय इन्टर कॉलेज ल्वाणी तक निर्मित किया जाना है। संरेखण स्थल मे पहाड़ी ढाल लगभग 20^0–45^0 के मध्य अवस्थित है जो कि कतिपय स्थलों पर इससे कम व अधिक ढालों के रूप मे विद्यमान है। संरेखण स्थल पर पहाड़ी ढाल की दिशा उत्तर 300^0 व 130^0 अवस्थित है जिसके मध्य भूभाग मे आंशिक उभारयुक्त रिज विद्यमान है जो कि लगभग उत्तरपूरब–दक्षिणपश्चिम विस्तार लिए हुए है। संरेखण के मध्य मे स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियाँ व वृक्ष आदि उगे हुये हैं तथा मृदा की कतिपय स्थलों पर आंशिक व मोटाईयुक्त गहरी परत दृष्टिगोचर होती है। बैण्ड्स का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि बैण्ड्स एक–दूसरे के ऊपर तथा दो संरेखण आर्मस के मध्य दूरी अधिक हो जिससे कटाव के साथ तथा कटाव के पश्चात् मोटर मार्ग को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।

उक्त क्षेत्र मे मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् मृदा अपरदन की प्रक्रिया को न्यून करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक मैहजर्स का प्रयोग किया जाना होगा। उक्त क्षेत्र मे मृदा बाहुल्य क्षेत्र अवस्थित हैं अतः उक्त क्षेत्रों मे कतिपय स्थलो पर मोटर मार्ग कटाव के पश्चात वृक्षो का रोपण किया जाये जिससे भूक्षरण की प्रकिया को न्यून किया जा सके।

मृदा का रंग भूरा प्रकृति का है। संरेखण स्थल व स्थल के समीपवर्ती क्षेत्र मे मुख्यतः क्वार्टजाईट, शिष्टोज क्वार्टजाईट तथा शिष्ट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान है।

क्वार्टजिटिक चट्टानें थिन बैडिंग प्लेन के साथ हाईली ज्वाइंटेड व आंशिक फोल्डिंग के साथ मोटर मार्ग कटाव क्षेत्र मे विद्यमान हैं। सम्पूर्ण संरेखण क्षेत्र लेसर हिमालय के अर्न्तगत वर्गीकृत चट्टानो के मध्य अवस्थित क्षेत्र है। संरेखण स्थल के पहाडी ढलानों पर स्वस्थानें चट्टानों के आउटकॉप का अभाव पाया गया। सम्भवतः चट्टानें अधोभूमि मे विद्यमान हैं। उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र सक्रिय भूकम्पीय जोन के अन्तर्गत वर्गीकृत है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थलों के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् कुछ क्षेत्रों के अपस्लोप का एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित होने से भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र विकसित हो सकते हैं। अतः भूधसांव क्षेत्र को अद्यतन नवविकसित सिविल भूअभियांत्रिकी द्वारा ट्रीट/सुरक्षित किया जाय।
3. चूंकि स्थल सक्रिय भूकम्पीय जोन मे अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थलों के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।
4. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् संरेखण को शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा मे पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों मे छोड़ा जाय।
5. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल मे मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।
6. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहॉ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर वर्षाकाल मे भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।
7. चूंकि उक्त संरेखण स्थल के निचले भूभाग पर पूर्व निर्मित मोटर मार्ग विद्यमान है अतः मोटर मार्ग कटाव से उत्सर्जित मलवे को निचले ढालों पर न फैलाया जाय।
8. संरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए अर्द्ध कटाव अर्द्ध भराव का सिद्वान्त अधिक उपयुक्त होगा।
9. पर्वतीय क्षेत्र मे मोटर मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।